रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293] नई दिल्ली, बुधवार, मई 8, 2019/वैशाख 18, 1941
No. 293] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 8, 2019/VAISAKHA 18, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2019

सा.का.नि. 350(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 248 की उपधारा (1), (2) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये नियम तारीख 10 मई, 2019 से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), के नियम 4 में-

(क) उप-नियम (1) में, "पांच हजार रूपये" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्, :-

"दस हजार रुपये:

परन्तु किसी कंपनी द्वारा कोई आवेदन प्ररूप संख्या एसटीके-2 में तब तक फाइल नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने अतिशोध्य विवरणी, प्ररूप संख्या एओसी-4 (वित्तीय विवरण) में या एओसी-4 एक्सबीआरएल में यथा स्थिति तथा प्ररूप संख्या एमजीटी-7 (वार्षिक विवरणी), उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक, जिसमें कंपनी ने अपना व्यासायिक प्रचालन बंद कर दिया है, फाइल नहीं किया है:

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रार द्वारा धारा 248 की उपधारा (1) के अधीन कार्रवाई आरंभ करने के पश्चात्, यदि किसी कंपनी का प्ररूप संख्या एसटीके-2 फाइल करने का इरादा है, तो वह प्ररूप संख्या एसटीके-2 को फाइल करने से पूर्व सभी लम्बित अतिशोध्य विवरणियां प्ररूप संख्या एओसी-4 (वित्तीय विवरण) में या एओसी-4 एक्सबीआरएल में, यथा स्थिति, और प्ररूप संख्या एमजीटी-7 (वार्षिक विवरणी) में फाइल करेगी:

परन्तु यदि कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा धारा 248 की उपधारा (1) के अधीन कार्रवाई आरंभ किए जाने के अनुसरण में प्ररूप संख्या एसटीके-7 में एक बार नोटिस जारी कर दिया गया है, तो किसी कंपनी को प्ररूप संख्या एसटीके-2 में कोई आवेदन फाइल करने को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) उप-नियम (3) में, खंड (ii) में, "लेखा कथन" शब्दों के पश्चात् "प्ररूप संख्या एसटीके-8 में" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. मूल नियमों के उपबंध में, -

(क) प्ररूप संख्या एसटीके-4 में, क्रम संख्या 2 में, मद (vii) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(viii) इस कंपनी ने सभी लम्बित अनुपालन, यदि कोई हो, पूरे कर लिए हैं [धारा 248 की उप-धारा (1) के अधीन कार्रवाई प्रारंभ हो जाने के पश्चात्, धारा 248 की उप-धारा (2) के अधीन फाइल किए गए किसी आवेदन के मामले में लागू].

(ख) प्ररूप संख्या एसटीके-7 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत-स्थापित किया जाएगा:-

"प्ररूप सं. एसटीके-8

[देखें नियम 4(3) (ii)]

लेखा विवरण

कंपनी का नाम: सीआईएन संख्या

आज की तारीख तक लेखा विवरण:

विशिष्टियां: (प्रत्येक मद के संबंध में संक्षिप्त ब्यौरा देना आवश्यक है)

I. निधियों के स्रोत	राशि (रुपये)
(1) पूंजी	
(2) आरक्षितियां और अतिरेक (लाभ और हानि लेखा में शेष धनराशि सहित)	
(3) ऋण निधियां	
वित्तीय संस्थाओं से प्रतिभूत ऋण	
बैंकों से प्रतिभूत ऋण	
सरकार से प्रतिभूत ऋण	
अन्य प्रतिभूत ऋण	
डिबेंचर	
अप्रतिभूत ऋण	
जमा राशि और उस पर ब्याज	
कुल ऋण निधियां	

(1) से (3) का योग	
II. निधियों का उपयोजन	
(1) स्थिर आस्तियां	
(2) निवेश	
(3) (i) वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम	

घटा: (ii) वर्तमान देयताएं और प्रयोजन	
लेनदार	
अप्रदत्त लाभांश	
देय	
अन्य	

कुल वर्तमान देयताएं और प्रयोजन	
निवल वर्तमान आस्तियां (i-ii)	
(4) बट्टे खाते या समायोजित नहीं किए जाने की सीमा तक विविध व्यय	
(5) लाभ और हानि लेखा (आहरण शेष)	

1 से 5 का कुल योग	

IndiaCode

तारीख:

स्थान:

नाम और हस्ताक्षर (प्रबंध निदेशक)*

नाम और हस्ताक्षर (सचिव)*

नाम और हस्ताक्षर (निदेशक)*

*केवल तभी लागू यदि एमडी/सचिव है

पूर्णकालिक चार्टर्ड अकांउटेंट द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित।
सदस्य संख्या/प्रेक्टिस संख्या का मोहर सहित प्रमाण-पत्र।"

[फां.सं.1/28/2013 सीएल-V(खंड)]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव,

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 1174(अ), तारीख 26 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 355(अ) तारीख 12 अप्रैल, 2017 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2019

G.S.R. 350(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and Sub-section (4) of section 248 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016 , namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force with effect from 10th May, 2019.

2. In the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 4,—

(a) in sub-rule (1), for the words "five thousand rupees", the following shall be substituted, namely:-

"ten thousand rupees:

Provided that no application in Form No. STK-2 shall be filed by a company unless it has filed overdue returns in Form No. AOC-4 (Financial Statement) or AOC-4 XBRL, as the case may be, and Form No. MGT-7 (Annual Return), up to the end of the financial year in which the company ceased to carry its business operations:

Provided further that in case a company intends to file Form No. STK-2 after the action under sub-section (1) of section 248 has been initiated by the Registrar, it shall file all pending overdue returns in Form No. AOC-4 (Financial Statement) or AOC-4 XBRL, as the case may be, and Form No. MGT-7 (Annual Return) before filing Form No. STK-2:

Provided also that once notice in Form No. STK-7 has been issued by the Registrar pursuant to the action initiated under sub-section (1) of section 248, a company shall not be allowed to file an application in Form No. STK-2.

(b) in sub-rule (3), in clause (ii), after the words, "statement of accounts", the words, letters and figures "in Form No. STK-8" shall be inserted.

3. In the Annexure to the principal rules,—

(a) in Form No. STK-4, in Serial Number 2, after item (vii), the following item shall be inserted, namely:-

"(viii) The company has fulfilled all pending compliances, if any [Applicable in case an application under sub-section (2) of section 248 has been filed after the initiation of action under sub-section (1) of section 248].

(b) after Form No. STK -7, the following Form shall be inserted, namely:-

"**Form No. STK-8**

[See rule 4(3)(ii)]

Statement of Account

Name of the Company: CIN No.

Statement of Account as on date:

Particulars : (Brief break up in respect of each item needs to be given).

Amount (Rs.)

I. Sources of Funds

(1) Capital	
(2) Reserves and Surplus (including balance in Profit and Loss Account)	
(3) Loan Funds	

Secured loans from Financial Institutions		
Secured loans from Banks		
Secured loans from Govt.		
Others Secured loans		
Debentures		
Unsecured Loans		
Deposits and interest thereon		

Total Loan Funds		
Total of (1) to (3)		
II. Application of Funds		
(1) Fixed Assets		
(2) Investments		
(3) (i) Current Assets, loans and Advances		
Less : (ii) Current Liabilities and provisions		
Creditors		
Unpaid Dividend		
Payables		
Others		
Total Current Liabilities and provisions		
Net Current assets (i –ii)		
(4) Miscellaneous expenditure to the extent not written off or adjusted		
(5) Profit and Loss Account (Debit balance)		
Total of 1 to 5		

Date :

Place:

Name and Signature of (Managing Director)*

Name and Signature (Secretary)*

Name and Signature of (Directors)

* Applicable only if there is MD/Secretary

Duly certified by Chartered Accountant in whole time practice.

Membership No/Certificate of Practice Number with seal.".

[F.No.1/28/2013-CL-V(Part)]
K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 of sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1174(E), dated 26th December, 2016 and amended vide notification No. G.S.R 355(E), dated the 12th April, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.05.09 22:11:22 +05'30'

IndiaCode